



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934

No. 1207]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934

कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून 2012

का.आ. 1438(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :—

(क) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

डा. पी. रविचन्द्रन

—सदस्य

प्रधान वैज्ञानिक

केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान,

चेन्नई, तटवर्ती जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ ।

(ख) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य :

डा. आर. किरुभागरन,

—सदस्य

वैज्ञानिक 'एफ' राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), पृथ्वी

विज्ञान मंत्रालय, चेन्नई ।

(ग) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (घ) में उल्लिखित सदस्य :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,

—सदस्य

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित किए जाएंगे) ।

(घ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) में उल्लिखित सदस्य :

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी),

—सदस्य

कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि,

कृषि मंत्रालय द्वारा नामित ।

(ड.) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) में उल्लिखित सदस्य :

श्री डी. एस. धेसी, —सदस्य  
संयुक्त सचिव (ईपी-एमपी),  
वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

(च) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत नियुक्त तटीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि :

(i) मात्स्यिकी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, —सदस्य  
ए पी सचिवालय, हैदराबाद ।

(ii) सचिव, मात्स्यिकी विभाग, —सदस्य  
जलकृषि, जलीय संसाधन एवं मत्स्यन बंदरगाह,  
पश्चिम बंगाल सरकार, जीएन-31,  
बैनफिश टावर बिल्डिंग, कोलकाता ।

(iii) सचिव (मात्स्यिकी), गुजरात सरकार, —सदस्य  
सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात ।

(iv) सचिव (मात्स्यिकी), —सदस्य  
तमिलनाडु सरकार,  
पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग,  
सचिवालय, चेन्नई ।

(छ) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) में उल्लिखित सदस्य :

डा. आर. पाल. राज, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण, —सदस्य-सचिव  
द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26, हैडोज रोड,  
चेन्नई-600006 ।

[फा. सं. 33036/6/2008-मात्स्यिकी (टी-2)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2012

**S.O. 1438(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoint the following Members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose the said Act for a period of three years from the date of Notification :

**(a) Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 4 :**

Dr. P. Ravichandran, —Member  
Principal Scientist,  
Central Institute of Brackishwater Aquaculture,  
Chennai, Expert in the field of Coastal Aquaculture.

**(b) Member appointed under clause (c) of sub-section (3) of Section 4 :**

Dr. R. Kirubhakaran, —Member  
Scientist "F" National Institute,  
of Ocean Technology (NIOT),  
Ministry of Earth Sciences,  
Chennai.

**(c) Member referred to in clause (d) of sub-section (3) of Section 4 :**

Representative of the Ministry of Environment, —Member  
and Forest, New Delhi (to be nominated by the  
Ministry of Environment and Forests).

- (d) Member referred to in clause (e) of sub-section (3) of Section 4 :**  
 Joint Secretary (Fisheries) —Member  
 Representative of the Ministry  
 of Agriculture, New Delhi nominated  
 by the Ministry of Agriculture.
- (e) Member referred to in clause (f) of sub-section (3) of Section 4 :**  
 Shri D. S. Dhesi, —Member  
 Joint Secretary (EP-MP)  
 Ministry of Commerce,  
 Udhyog Bhawan, New Delhi.
- (f) Representative of Coastal States and Union Territories appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 4 :**
- (i) Commissioner of Fisheries —Member  
 Government of Andhra Pradesh,  
 AP Secretariat, Hyderabad.
- (ii) Secretary, Department of Fisheries, —Member  
 Aquaculture, Aquatic Resources and  
 Fishing Harbours, Government of West Bengal,  
 GN-31, Benfish Tower Building, Kolkata.
- (iii) Secretary (Fisheries), —Member  
 Government of Gujarat,  
 Sachivalaya, Gandhi Nagar, Gujarat.
- (iv) Secretary (Fisheries), —Member  
 Government of Tamil Nadu,  
 Animal Husbandry, Dairying and  
 Fisheries Department, Secretariat, Chennai.
- (g) Member referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 4 :**  
 Dr. R. Paul Raj, —Member-Secretary  
 Coastal Aquaculture Authority,  
 2nd Floor, Shastri Bhawan, Annexe,  
 26, Haddows Road, Chennai-600006.

[F. No. 33036/6/2008-Fy (T-2)]  
 TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.